

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(चकबंदी निदेशालय)

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या-12/चक0-02-क्ष0 राज0-07/2014.....२७...../चक0, दिनांक ०५/०१/२०२२

बिहार जोत समेकन एवं खण्डकरण निवारण अधिनियम 1956 (बिहार अधिनियम 22, 1956) की धारा 4(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजा- जहानाबाद, कुदरा, थाना नं०-657, अंचल- कुदरा, जिला कैमूर को चकबंदी अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन निर्गत अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से रद्द की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधिसूचना संख्या-12/चक0-02-क्ष0 राज0-07/2014.....२७...../चक0, दिनांक ०५/०१/२०२२
प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना (सी०डी० सहित)/अवर सचिव, गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (सी०डी० सहित) राजपत्र असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधिसूचना संख्या-12/चक0-02-क्ष0 राज0-07/2014.....२७...../चक0, दिनांक ०५/०१/२०२२
प्रतिलिपि - जिला पदाधिकारी, कैमूर/अवर निबंधक, मोहनियाँ, कैमूर/उप निदेशक चकबंदी, रोहतास/चकबंदी पदाधिकारी, कुदरा, कैमूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
सरकार के संयुक्त सचिव।